न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 138/2017 (उदयपुर डिकी)

रामगिरी पिता देवगिरी गोस्वामी, निवासी झामर कोटडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 07.06.2017 प्र.सं. 118/15

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

28–03–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट सरकार के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम झामर कोटडा में बिलानाम आराजी नंबर 3081, 3074 रकबा 1.9500 हैक्टर भूमि स्थित है, जिस पर वादी का कब्जा सन् 1970 से पूर्व से चला आ रहा है तथा वादी ने भूमि को आबादी कर मौके पर पेड़ लगाये हैं एव बाउण्ड्री बना रखी है। अतएवं को को उक्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावें एवं अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रतिवादी सरकार की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया गया तथा वादी का वाद आधारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रखकर वादी की उपस्थित में दिनांक 07–06–2017 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उसे निर्णय की सूचना नहीं दी। दिनांक 02–08–2017 को अपीलान्ट पेशी पर उपस्थित हुआ तो उसे निर्णय की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि दिनांक 07–06–2017 की आदेशिका पर वादी/अपीलान्ट स्वयं के हस्ताक्षर हैं। फिर भी प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट राज्य सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कैम्प में रखकर वादी/अपीलान्ट को सुने बिना निर्णित कर दिया गया, जो सी.पी.सी. के प्रावधानों के विपरीत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम कर उन पर साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना चाहिए था। अतएवं अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट/वादी द्वारा मूल रूप से एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी चाही गयी है, जबकि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित नवीनतम न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 14–06–2017 पेज 352 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आर. आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 अनुसार राजस्थान काश्तकारी कानून में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जाने के प्रावधान हैं।

जहां तक कब्जे का प्रश्न है, इस हेतु अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 के नोटिस प्रस्तुत किये हैं, किन्तु इससे अपीलान्ट का कब्जा बतौर अतिक्रमी ही माना जा सकता है एवं अतिक्रमी का कोई लोकस स्टैण्डाई नहीं होता है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध रेकार्ड अनुसार वादी का वाद जो खारिज किया गया है, उसमें प्रथम दृष्टया हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07–06–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28–03–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

रामगिरी पिता देवगिरी गोस्वामी, निवासी बनाम राजस्थान राज्य जरिये झामर कोटडा, तह.गिर्वा, जिला उदयपुर तहसीलदार, गिर्वा

अपील नं॰.....138 / 2017.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....

.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....07.....माह.....06..... 2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....28....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी.....श्री नरपतसिंह चुण्डावत.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री पंकज भटनागर

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 07–06–2017 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेर हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....28.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी		

..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			..... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।